(14)

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 2018 निगरानी – 4217/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

1. भगवान दास मृतक वैध वारिस–सजय कुमार पिता मनमोहन द्विवेदी
2. मनमोहन द्विवेदी पुत्र स्व श्री धर्मदास द्विवेदी
3. गोरीशंकर तनय सरमन व्रहमण
4. हरिशंकर तनय स्व सरमन व्राहमण
5. सुरेश तनय स्व श्री कुंजीलाल व्राहमण निवासीगण ग्रम मिलोनी तहसील वल्देवगढ जिला टीकमगढ म.प्र.

.............आवेदकगण

श्री सुनील सिंह जादौन द्वारा आज दि० 6.7.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 13.7.18 मियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6.7.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

भगवत प्रसाद द्विवेदी तनय स्व धर्मदास द्विवेदी भिलोनी तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ हाल निवासी वार्ड न 21 कुमैदान मुहल्ला डाक्टर खां के वंगल में पुराना बंस स्टेण्ड के पास तहसील व जिला टीकमगढ म0प्र0 ।

...........अनावेदकगण

सुनील सिंह जादौन
5/7/18

निगरानी आवेदन पत्र अतर्गत धारा 50 के तहत म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील क 595/अ–6/2015–16 मे पारित आलोच्य आदेश दिनांक 10.5.2018 के विरूद्ध ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

<u>प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4217/2018/टीकमगढ़/भू.रा. **जिला** टीकमगढ भगवानदास विरूद्ध भगवत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । दिनांक 13-08-2018 को आवेदक के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन को कायमी के प्रश्न पर सुना गया था । 2. मेरे द्वारा निगरानी मेमो, अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर का द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 10-05-2018 एवं अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ का प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 31-03-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 3. अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ ने पाया है कि तहसीलदार के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर नामांतरण किया गया है एवं आपसी सहमति के आधार पर नामांतरण बंटवारे के विरूद्ध अपील स्वीकार न करने के संबंध में राजस्व निर्णयों का न्याय दृष्टांत **नन्नूराम विरूद्ध देवीदयाल 1978 (2) एमपीबीकली नोट 222, हिसाबीलाल विरूद्ध मंगी 1978 आर.एन. 222** उपलब्ध है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया जिसकी अपील नहीं होगी । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आपसी सहमति से किये गये नामांतरण के विरूद्ध 1 वर्ष 11 माह के बाद अपील प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा निगरानीकर्ता का धारा 5 का आवेदन समय अवधि बाह्य मानते हुए अपील निरस्त की गई है। 4. अपर आयुक्त सागर के द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार एवं अनुविभागीय न्यायालय का अभिलेख देखने के उपरांत विभिन्न राजस्व न्याय दृष्टातों के अनुपालन में निगरानीकर्ता के द्वारा 11.9.18	

(1)

(2)

दायर द्वितीय अपील निरस्त की गई है, एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा है ।

5. आवेदक द्वारा प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित रखने के उपरांत दिनांक 24-08-2018 को कुछ दस्तावेज पेश कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आपसी सहमति से शपथ पत्र जो तहसीलदार के न्यायालय में गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह कूटरचित है । अभिलेख सहमति शपथपत्र को कूटरचित सिद्ध करने का कार्यक्षेत्र न्यायिक दण्डाधिकारी/सत्र न्यायालय का है । अत: उक्त दस्तावेजों का परीक्षण राजस्व मण्डल के द्वारा नहीं किया जा सकता है । सहमति शपथ पत्र के दाण्डिक न्यायालय में कूटरचित सिद्ध होने पर निगरानीकर्ता पुन: नामांतरण को निरस्त (Reject) कराने हेतु आवेदन दे सकता है ।

6. अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन एवं निगरानी मैमों व आवेदक अभिभाषक के तर्क सुनने के उपरांत अधीनस्थ अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने के कारण निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है ।

सदस्य 11.9.2018

(3)

(2)